7266

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

NAVED QAISAR
Tehsil Jansath
Muzaffarnagar
ACC Code UP14200204

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP32802950616967U
Certificate Issued Date	:	02-Jul-2022 04:20 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14200204/ JANSATH/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14200204573307438657790U
Purchased by	:	SWAMI KALYAN DEV COLLEDGE OF PHARMECI BY RAJESH
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND SITUATED AT VILL MUBARIKPUR PARGANA B.S. TEH JANSATH DIST MZN
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KALYANKARI SHIKSHA SAMITI BY RAJESH
Second Party	:	SWAMI KALYAN DEV COLLEDGE OF PHARMECI BY RAJESH
Stamp Duty Paid By	:	SWAMI KALYAN DEV COLLEDGE OF PHARMECI BY RAJESH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	720 (Seven Hundred And Twenty only)

E-STAMP S.R.-JANSATH
VERIFIED BY.........
LOCKED BY.........

राजेश

राजेश

राजेश

राजेश

0002306102

कार्यालय उप–निबन्धक जानसठ

आलेख लीज डीड (अवधि 30 वर्ष)

देय स्टाम्प : 720/–रू0

लीज पर दी जा रही सम्पत्ति स्थित **ग्राम मुबारिकपुर परगना भुम्मा सम्मलहेडा** तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर।

हम कि **कल्याणकारी शिक्षा समिति मीरापुर किथौडा जिला मुजफ्फरनगर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती राजेश पत्नी श्री महेन्द्र सिंह** (Aadhar Card No. XXXXXXXX1800) निवासी मकान नम्बर 573/92, भरतिया कालोनी, ज्योति विहार मुजफ्फरनगर **प्रथम पक्ष/लीजदाता** एवं **स्वामी कल्याण देव कालेज ऑफ फार्मेसी, मुबारिकपुर जिला मुजफ्फरनगर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती राजेश पत्नी श्री महेन्द्र सिंह** (Aadhar Card No. XXXXXXXX1800) निवासी मकान नम्बर 573/92, भरतिया कालोनी, ज्योति विहार मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष/लीज ग्रहिता है तथा पक्षकारो का स्थाई एंव पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है।

राजेश

राजेश

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक जगह क्षेत्रफल **8100 वर्गमीटर के अन्तर्गत 2600 वर्गमीटर में बिल्डप एरिया बना है** स्थित ग्राम **मुबारिकपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा** तहसील जानसठ जिला मु0नगर का मालिक व स्वामी व काबिज है तथा प्रथम पक्ष को निम्नलिखित जगह के सम्बन्ध में आड, बैय, रहन, विक्रय आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को अंकन 6,000/–रू0 वार्षिक किराये पर शिक्षण कार्य हेतु निम्न शर्तो पर देना तय किया है जिसके पक्षकार व वारसान पक्षकार पाबन्द रहेंगे :–

1. यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 30 (तीस) वर्ष की अवधि हेतू लीज पर प्रदान की है, लीज की अवधि दिनांक 02.07.2022ई0 से प्रारम्भ होकर 01.07.2052ई0 दी गयी है जो निरन्तर कुल **30 वर्ष** की अवधि तक ही।

2. यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति का कुल वार्षिक लीज रेन्ट/किराया पक्षकारान के मध्य 6000/–छः हजार रूपये तय किया गया है, द्वितीय पक्ष वार्षिक लीज रेन्ट प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह में अग्रिम रूप से प्रथम पक्ष को नियमित रूप से अदा करते रहेंगे।

3. यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर स्थल पर कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा लीज अवधि के शुरू होने पर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया गया है द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर **स्वामी कल्याण देव कालेज ऑफ फार्मेसी मुबारिकपुर**

राजेश

राजेश

जिला मुजफ्फरनगर चलाने हेतू ही प्रयोग किया जायेगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित पर कोई भी बिल्डिंग आदि बनाये।

5. यह कि लीज की अवधि जारी रहने तक अर्थात लीज की सम्पत्ति पर लेने से कुल 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति वापस करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के बाध्य नही किया जायेगा। अवधि समाप्त होने पर प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की सहमति से लीज डीड की अवधि को आगे बढाने का अधिकार होगा।

6. यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति को काबिज व **स्वामी कल्याण देव कालेज ऑफ फार्मेसी मुबारिकपुर जिला मुजफ्फरनगर** चलाने के अलावा अन्य किसी प्रयोग में नही लायेंगे।

7. यह कि द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति पर जो **स्वामी कल्याण देव कालेज ऑफ फार्मेसी मुबारिकपुर जिला मुजफ्फरनगर** चलायेंगे उसके सम्बन्ध में सभी प्रकार के शुल्क आदि स्वंय द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जायेगा।

8. यह कि उक्त लीज पर चलाये गये **स्वामी कल्याण देव कालेज ऑफ फार्मेसी मुबारिकपुर जिला मुजफ्फरनगर** चलाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कार्य व्यवहार व लेन देन आदि के प्रति प्रथम पक्ष व उसकी सम्पत्ति पर कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति को सबलेट नही किया

राजेश

राजेश

जायेगा और न ही द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति में किसी अन्य व्यक्तिया संस्था को कोई लाईसेन्सी आदि रखने का अधिकार होगा। किन्तु बैंक से ऋण लेने का द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा प्रथम पक्षगण को इसमें कोई आपत्ति नही होगी।

10. यह कि इस लीज विलेख की शर्तो व नियमों के प्रतिपालन करने हेतू दोनो पक्षकार व उनके उत्तराधिकारी व प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि पूर्ण तथा बाध्य रहेंगे।

<u>सम्पत्ति विवरण :–</u> जोकि एक जगह क्षेत्रफल **8100 वर्गमीटर के अन्तर्गत 2600 वर्गमीटर में विल्डप एरिया बना है** स्थित ग्राम **मुबारिकपुर परगना भुम्मा सम्भलहेडा** तहसील जानसठ जिला मु0नगर जो खसरा नम्बर 241 व 245 व 222/2म में स्थित है।

<u>सीमा :–</u> पूरब में जगह श्रीमती राजेश, पश्चिम में जगह श्रीमती राजेश, उत्तर में खेत और दक्षिण में निजी रास्ता 21 फुट चौडा बादहू जगह श्रीमती राजेश।

अस्तु: पक्षगण ने यह आलेख लीज डीड (30 वर्ष) स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में होकर बिना किसी अनुचित दबाव में आये स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक

राजेश

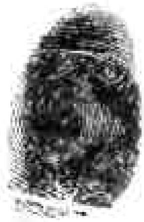

राजेश

सक्षम साक्षियो की उपस्थिति में वास्ते याददाश्त लिखा दिया ताकि प्रमाण हो और समय पर काम आवे। इति।

राजेश

राजेश

साक्षी.............................

साक्षी.............................

लेखतिथि : **02 जौलाई सन् 2022ई0**

आलेखक : सत्यवीर सिंह, दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति सं0 56 तहसील जानसठ। वैद्यता : 31/03/2024ई0